



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01012025-259803
CG-DL-E-01012025-259803

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 361]
No. 361]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 31, 2024/पौष 10, 1946
NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 31, 2024/PAUSA 10, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना
नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2024
सं० 35/2024-2025

विषय: अग्रिम प्राधिकार पत्र/डीएफआइए के अंतर्गत भामिल मेंथॉल के आयात के संबंध में।

फा. सं. 01/89/180/विविध-3/एएम-04/पीसी-2(ए)/वॉल्यूम-III/ई-141-विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2023 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा प्रक्रिया पुस्तक (एचबीपी) और मानक निविष्टि-उत्पाद मानदंड (सिओन) में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित सं” गोधन करते हैं।

2. दिनांक 7 मार्च 2024 की सार्वजनिक सूचना संख्या 48/2023 के तहत निलंबित किए गए मेंथॉल के आयात के लिए सिओन/तदर्थ मानदंड फिर से लागू कर दिए गए हैं और अब इन्हें अध्याय 29, आईटीसी (एचएस), 2022 अनुसूची-I (आयात नीति) के पूरक नोट संख्या 1 के साथ पठित निम्नलिखित आईटीसी (एचएस) कोड के अंतर्गत शामिल किया जाएगा:

आईटीसी (एचएस) कोड	मद विवरण
2906 11 10	--मेन्थॉल:--- प्राकृतिक मेन्थॉल
2906 11 90	--मेन्थॉल:--- अन्य

3. क्षेत्रीय प्राधिकरण और मानदंड समितियां अब नीति और प्रक्रिया के अनुसार अग्रिम प्राधिकार पत्र/ डीएफआईए और तदर्थ मानदंडों को जारी करने और निर्धारण के मामलों पर विचार कर सकते हैं।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:

मेन्थॉल के संबंध में सिओन/तदर्थ मानदंड, जो अब आईटीसी (एचएस) कोड 29061110 और 29061190 के अंतर्गत आते हैं, को तत्काल प्रभाव से पुनः लागू कर दिया गया है।

संतोष कुमार सारंगी महानिदेशक, विदेश व्यापार एवंपदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(Directorate General of Foreign Trade)

PUBLIC NOTICE
New Delhi, the 24th December 2024

No. 35 /2024-25

Subject: Import of Menthol under Advance Authorisation/DFIA – reg

F. No. 01/89/180/Misc-3/AM-04/PC-2[A] / Vol.-III / E-141—In exercise of powers conferred under paragraph 1.03 and 2.04 of the Foreign Trade Policy (FTP), 2023, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments to Handbook of Procedures (HBP) and Standard Input-Output Norms (SION) with immediate effect.

2. The SION/Adhoc norms for import of Menthol, suspended vide Public Notice No. 48/2023 dated 7 March 2024, are re-instated and shall now be covered under the following ITC(HS) codes read with Supplementary Note No. 1 of Chapter 29, ITC(HS), 2022 Schedule –I (Import Policy):

ITC(HS) Code	Item Description
2906 11 10	--Menthol:--- Natural Menthol
2906 11 90	--Menthol:--- Other

3. The RAs and NCs may now consider the cases for issuance and fixation of Advance Authorization/DFIA and Adhoc norms as per policy and procedure.

Effect of this Public Notice:

SION/Adhoc norms in respect of Menthol, now covered under ITC(HS) codes 29061110 and 29061190, have been re-instated with immediate effect.

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade &Ex- officio Addl. Secy.